माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क्र0– /2018–19 निगरानी

निग्रानी-0671/2019/देवास/28 न0

भागीरथ आत्मज सोनया उर्फ सोनारायण देशवाली, निवासी–ग्राम रहमानपुरा, तहसील सतवास जिला देवास म0प्र0 ------प्रार्थी

विरूद्ध

(1) द्वाराकाप्रसाद पिता हरिप्रसाद देशवाली निवासी–ग्राम रहमानपुरा, तहसील सतवास जिला देवास म0प्र0

(2) गणपतिबाई आत्मज सोनया उर्फ सोनारायण देशवाली, निवासी–ग्राम रहमानपुरा, तहसील सतवास जिला देवास म0प्र0

------प्रतिप्रार्थी

दिनांक 22/4/19
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा प्रकरण कमांक 476/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2019 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार निगरानी का स्मरण लेख सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1 यह कि, माननीय योग्य अधिनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील सतवास जिला देवास के समक्ष प्रार्थी के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि ग्राम रहमानपुरा के सर्वे नंबर 56, 111, 131, 132 कुल रकबा 4.74 हेक्टेयर की 8 सहखातेदारों की संयुक्त मालीकी स्वामी की होकर इस भूमि में प्रार्थी का 12/8 हक रहा है और सहखातेदार भोलीबाई, सरस्वतीबाई, गीताबाई, वसुबाई का भी प्रत्येक का 1/8, 1/8 अर्थात 4/8 हक स्वत्व अधिकार व आधिपत्य रहा और यह 4/8 हक की भूमि को सहखातेदार भोलीबाई,

निरन्तर........2

(163) (195)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-0671/2019/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक की ओर से श्री बी.एल. मावर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/01/19 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्राहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	